न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्ष एम.के.सिंह

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4439-I/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 22.12.2012 पारित द्वारा अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग जबलपुर प्रकरण क्रमांक 576/अ--6/08--09 अपील

1 दीपक कुमार पुत्र प्रमोद कुर्मी
2 प्रवीण कुमार पुत्र प्रमोद कुर्मी
दोनों निवासी – ग्राम फनबानी
तहसील सिहोरा जिला–जबलपुर (म.प्र.)

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1. चंदाबाई पति अशोक कुमार
2 प्यारीबाई पत्नि गेंदालाल कुर्मी
दोनों निवासी – ग्राम फनबानी
तहसील सिहोरा जिला–जबलपुर (म.प्र.)

..... अनावेदकगण

श्री के.के. द्विवेद्वी, धर्मेन्द्र चतुर्वेदी अभिभाषक आवेदकगण
श्री आर.एस. सेंगर, कुवर सिंह कुशवाह अभिभाषक अनावेदक क्रमांक 1
श्री दिवाकर दीक्षित अभिभाषक अनावेदक क्रमांक 2

:: आदेश ::

(आज दिनांक 05–06-2014 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा अपर आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 576/अ–6/08–09 अपील में पारित आदेश दिनांक 22.12.2012 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता सन् 1959 (जिसे आगे केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेदिका क्रमांक 1 चंदाबाई का विवाह कृष्ण कुमार से हुआ था कृष्ण कुमार की मृत्यु पश्चात् उसने दूसरा विवाह अशोक कुमार से किया। अशोक कुमार की मृत्यु हो गयी दूसरा विवाह करने से चंदाबाई का कृष्ण कुमार की सम्पत्ति पर कोई हक नहीं था लेकिन चंदाबाई ने यह तथ्य छिपाकर कृष्ण कुमार की सम्पत्ति पर अपना नाम

चढवा लिया चंदाबाई के दोनों मृत पतियो की वसीयत नायब तहसीलदार के न्यायालय के पेश की है वसीयत पेश होने पर चंदाबाई द्वारा आपत्ति की गयी, जो खारिज हुय।। इस आदेश के विरूद्व कलेक्टर के समक्ष पुनरीक्षण पेश की गयी जिसमें कलेक्टर ने दिनांक 03.03.2007 को अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया कि नायब तहसीलदार के विरूद्व जो अपील प्रचलित है, उसमें इसे समाहित करते हुये सुनवाई उपरान्त आदेश पारित किया जाये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ना तो वसीयत पर साक्ष्य ली गयी और न ही गुण दोषों पर आदेश पारित किया। अत: अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त कर वसीयत के आधार पर गुण दोष पर सुनवाई करने का आदेश पारित किया जाये। ग्राम फनवानी में स्थित भूमि 267, 280, 783, 138, 606, 687, 689, 693, 697, 698, 704, व 58 के संबंध में चंदाबाई प्रवीण कुमार व दीपक कुमार द्वारा अलग–अलग आवेदन पत्र नायब तहसीलदार सिहोरा के समक्ष नामान्तरण व बटवारे के आधार पर चार पृथक पृथक प्रकरण एकजाई करने से प्रकरण संस्थित किया गया एक प्रकरण दीपक कुमार पुत्र प्रमोद कुमार द्वारा खसरा नं. 216, 267, 783 रकवा 2.20 हैक्ट्यर पर वसीयत के आधार पर नाम दर्ज करने का आवेदन दिया एक आवेदन चंदाबाई द्वारा बंटवारे हेतु खसरा नं 686, 687, 688, 693, 697, 698, 704, 938 में दिया दीपक कुमार एवं प्रवीण कुमार द्वारा प्रस्तुत वसीयतों को चंदाबाई द्वारा फर्जी एवं बनावटी करार दिया गया चंदाबाई के बटवारा प्रकरण में प्यारीबाई आदि द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गयी कि भूमि का स्वत्व स्पष्ट हुये बिना बटवारा नहीं हो सकता। इस संबध में प्रकरण क्रमांक 15/अ–6/2000–01 का हवाला प्रस्तुत किया। नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.07.2006 से यह आदेश पारित किया कि प्रकरण में वसीयत का प्रश्न होने अथवा न होने, अनावेदकों के मध्य हिस्से का विवाद, विधवा पुर्नविवाह के स्थिति में स्वत्व का निर्धारण, पुर्नविवाह की मान्यता, अमान्यता ऐसे जटिल प्रश्न मौजद है जो इस न्यायालय की अधिकारिता से बाहर है तथा समक्ष सिविल न्यायायल द्वारा इन प्रश्नों का निर्विवाद निपटारा किये जाने पर ही उनके आदेशानुसार हिस्सों पर पक्षकारों का नाम दर्ज करना न्याय उचित होगा बिना सिविल न्यायालय द्वारा उक्त वर्णित बिन्दुओं पर निराकरण किये प्रकरण में कोई भी आदेश पारित करने पर अप्रत्यक्ष रूप से स्वत्व का निर्णय होना है जोकि अधिकारिता बाहर आदेश होगा राजस्व न्यायालय का दायित्व मात्र इतना है कि निर्विवाद स्वत्वों को खसरा अभिलेख में दर्ज करने का आदेश दें। इस आदेश के विरूद्व अनावेदिका चंदाबाई द्वारा

अनुविभागीय अधिकारी सिहोरा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी जो आदेश दिनांक 27.08.2008 से अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सिहोरा का आदेश दिनांक 18.07.2006 निरस्त किये जाने का आदेश पारित किया है। इसके विरूद्व आवेदकगण द्वारा अपर आयुक्त जबलपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी जो आदेश दिनांक 22.12.2012 से अस्वीकार हुयी । उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3– प्रकरण में आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किये गये कि आवेदकगण की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष वैध वसीयत प्रस्तुत की गयी थी तथा निवेदन किया था कि उक्त दोनों वसीयत विचारण न्यायालय में प्रस्तुत की थी तथा उनको विधिवत् सिद्व किया गया था उक्त दोनो वसीयत को अवैध घोषित किये जाने के लिये उक्त दोनों अनावेदगणों ने किसी भी न्यायालय मे भी कोई कार्यवाही नहीं की है इसलिये दोनों वसीयतों के आधारा पर आदेश पारित न करने में अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा त्रुटि की गयी है अभिभाषक द्वारा अपने निगरानी मेमो में यह भी उल्लेख किया है कि गेंदालाल पटेल के तीन पुत्र प्रमोद पटेल, कृष्ण कुमार पटेल, एवं अशोक पटेल थे इनमें से कृष्ण कुमार का स्वर्गवास हो चुका है प्रकरण में विवादित सम्पत्ति उक्त ग्राम फनवानी में स्थित खसरा नं. 58 रकवा 2.43 हैक्ट्यर के संबंध में कृष्ण कुमार ने दिनांक 28.01.1990 को अपने भतीजे प्रवीण कुमार पटेल पुत्र प्रमोद कुमार पटेल के पक्ष में वसीयत लिखी थी जिसके अनुसार उन्होंनें यह वसीयत की थी कि उनकी मुत्यु के बाद उनकी पत्नी चंदाबाई यदि उनके नाम से विधवा जीवन व्यतीत करती है तो उक्त सम्पत्ति से उनको परवरिश का अधिकार होगा तथा यदि वह दूसरा विवाह कर लेती है तो उक्त सम्पत्ति से परवरिश का उनका अधिकार समाप्त हो जावेंगा। कृष्ण कुमार के स्वर्गवास के बाद उनकी पत्नी चंदाबाई ने दूसरा घर वसा लिया इसलिये उक्त सम्पत्ति पूरी तरह से मालिक एवं कब्जेदार आवेदक क्रमांक 2 प्रवीण कुमार हो गये है। इसी प्रकार मौजा फनवानी में स्थित भूमि खसरा नं 216, 267 एवं 783 कुल रकवा 2.28 हैक्ट्यर के संबंध में मूल भूमि स्वामी अशोक कुमार पुत्र गेंदा लाल पटेल ने दिनांक 23.01.1997 को यह वसीयत अपने भतीजे दीपक कुमार पुत्र प्रमोद पटेल के पक्ष में लिखी थी कि उनके स्वर्गवास के बाद दीपक कुमार पटेल उक्त पूरी सम्पत्ति का मालिक होगा लेकिन उन्होंनें ऐसी भी शर्त रखी थी कि यदि चंदाबाई उनकी विधवा बनकर रहती है। तो उनको खसरा नं. 267 रकवा 1.32 हैक्ट्र में से 0.80 हैक्ट्यर भूमि में अपने जीवनकाल में केवल

भरण पोषण का अधिकार रहेगा। उक्त दोनों वसीयतो के आधार पर आवेदकगण को जो सम्पत्ति मिली है उक्त सम्पत्ति में उनका अलग--अलग भूमि स्वामी की हैसियत से कब्जा हैं। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा उपरोक्त तथ्यों को अनदेखा कर आदेश पारित किये है अतः उपरोक्त आदेश निरस्त किये जायें एवं आवेदकगण के हित मे दोनों वसीयतों के आधार पर नामान्तरण आदेश पारित किये जायें।

4-- अनावेदक क्रमांक 1 की ओर से उनके अभिभाषक द्वारा अपनी लिखित बहस में यह उल्लेख किया है कि विचारण न्यायालय द्वारा वसीयत के आधार पर सिविल न्यायालय में जाने का आदेश दिया है। वह उचित है। एवं इस प्रकरण मे प्रस्तुत दोनों वसीयतें फर्जी है तथा अनुविभागीय अधिकारी एवं अधीनस्थ न्यायालय के समवर्ती निष्कर्ष है अतः हस्तक्षेप योग्य नहीं है अत में निगरानी निरस्त करने का निवेदन किया।

5-- अनावेदक क्रमांक 2 की ओर से उनके अभिभाषक द्वारा यह बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में विधिवत् एवं सही आदेश पारित किया है इसलिये उक्त आदेश स्थिर रखा जायें। एवं आवेदकगण की वर्तमान निगरानी बलहीन एवं सारहीन होनें से निरस्त की जायें।

6– प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया गया तथा विद्वान अभिभाषकगणों के तर्कों पर मनन किया गया एवं विभिन्न अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों का सूक्ष्म अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा आवेदकगण के वसीयतनामा के आधार पर प्रस्तुत आवेदन पत्र को मात्र इस आधार पर अमान्य किया है कि उपरोक्त प्रकरण में स्वत्व का निराकरण सिविल न्यायालय से कराना चाहियें न्यायालय को सिविल न्यायालय से स्वत्व के निराकरण के लिये निर्देशित नहीं किया जाना चाहिये। इस संबंध में 1975 आर. एन. 356, 1973 आर.एन. 566 में यह निश्चित किया गया है कि राजस्व न्यायालय स्वत्व के निराकरण हेतु पक्षकार को निर्देशित नहीं कर सकता है। विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदकगण की ओर से मूल वसीयतनामा प्रस्तुत किये गये थे जो सशर्त वसीयत नामा थे जिसमें स्पष्ट शर्त यह थी कि उनकी विधवा पत्नी दूसरा विवाह कर लेती है तो उसे सम्पत्ति पर कोई हक अधिकार नही रहेगा भूमि स्वामी की मुत्यु के बाद चंदाबाई द्वारा दूसरा विवाह कर लिया है ऐसी स्थिति में उसे भूमि में हक एवं अधिकार प्राप्त नहीं होगा इस तथ्य का विवेचन विचारण न्यायालय द्वारा नहीं किया गया है जहॉ तक अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अनावेदिका चंदाबाई आदि की अपील का प्रश्न है तो उक्त अपील मे अनुविभागीय

अधिकारी द्वारा जो आदेश पारित किया है उसमें किसी भी तथ्य का कोई विवेचन नहीं किया है अपीलीय न्यायालय का कर्त्तव्य समस्त साक्ष्य विवेचन करना प्रथम अपीलीय न्यायालय का बाध्यकारी कर्त्तव्य है, साक्ष्य तथा तर्को का विवेचन किये बिना पारित आदेश न्यायिक आदेश नहीं है । वर्ष 1986 आरएन 258, 1984 आरएन 204, 1959 जेएलजे 627 मे निष्कर्ष दिये गये है। वह प्रकरण में विचारयोग्य हैं । अपीलीय न्यायालय का आदेश सकारण नहीं है । अपीलीय न्यायालय को सकारण आदेश पारित करना चाहिये । इस वैधानिक तथ्य पर विचार किये बिना जो आदेश अपर आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर द्वारा पारित किया गया है वह स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालयो के आदेश विधिवत् एवं उचित न होने से स्थिर रखे जाने योग्य नही है ।

7— उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.12.2012 एवं अनुविभागीय अधिकारी सिहोरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.08.2008, नायब तहसीलदार सिहोरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.07.2006 विधिवत् एवं औचित्यपूर्ण नही होने से अपास्त किये जाते है एवं आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत वसीयत नामा दिनांक 28.01.1990 तथा 23.01.1997 के आधार पर नामान्तरण किये जाने के आदेश दिये जाते है। निगरानी स्वीकार की जाती है।

(एम.के.सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर